न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/252

भंवर लाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन हाल मुकाम सुभाष नगर कुन्हाडी कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. दौलतराम आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. मदन आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. बाबूलाल आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजकुमार आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. कस्तूरी बेवा गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. केसरा आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री शम्भूलाल मेघवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 05.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.03.1987 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 दौलतराम, वादी कम 02 मृतक गोपाल एवं रेस्पोडेन्ट कम 06 केसरा ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मेसखेडा तहसील के0 पाटन में आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा पर वादी गोपाल अपने बुजुर्गो के समय से पीढीदर पीढी काबिज काश्त है । खसरा नम्बर 18 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 हिस्से पर वादी दौलतराम तथा शेष 12 बीघा 05 बिस्वा वार वादी केसरीलाल काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज चले आ रहे हैं । इस प्रकार वादीगण कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी के खातेदार बन गये हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के अलग–अलग खाते में दर्ज की जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.1987 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.1987 से व्यथित होकर अपीलान्ट भंवर लाल ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का कथन किया । अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया था इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को लोडक्या का पुत्र नहीं बताकर तथ्य छिपाकर गलत पीढी वृक्ष वाद पत्र में अंकित करके परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर डिक्री करवाया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के समय से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही संयुक्त रूप से कब्जे में चली आ रही है तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के साथ संयुक्त विधिक अधिकार निहित है । परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी एवं उक्त अपील विषयक भूमि में अपीलान्ट के कानूनी हक निहित है इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 में अपीलाधीन निर्णय से किस प्रकार पीडित हैं तथा वे किस प्रकार से हितबद्ध पक्षकार हैं । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कोई हित–निहित नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी रेस्पोडेन्टगण का माना है । यदि

वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कोई हित–निहित है तो वो सक्षम न्यायालय में नया वाद प्रस्तुत कर सकते हैं । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में कब्जे के आधार पर हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था । पैतृक सम्पत्ति का वाद प्रस्तुत नहीं किया था। परीक्षण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट को कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया है। विवादित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है । इतने वर्षों पश्चात् बदनीयति के कारण अपील पेश की है जो सारहीन है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2022 पेज 670, आरआरटी 2017 पेज 617, डीएनजे 2021 पेज 707 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट कम 01 दौलतराम, वादी कम 02 मृतक गोपाल एवं रेस्पोडेन्ट कम 06 केसरा ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत ग्राम मेसखेडा तहसील के0 पाटन में आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.1987 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिकी कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अपील विषयक भूमि में अपीलान्ट के कानूनी हक निहित होने का आधार लिया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी में अंकित कानूनी हक होने के प्रश्न को अपील में अंकित कथनों व वाद में लिखित कथनों के आधार पर बहस की जिसमें विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि उक्त भूमि गोपाल, केसरा, लोडक्या तथा लोडक्या जी के देहान्त के पश्चात् उनके पुत्र दौलतराम व भंवर लाल के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा रेस्पोडेन्ट ने तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत कर धोखे से निर्णय व डिकी पारित करवायी है । हमने तथ्य व विधि के प्रश्न पर प्रकरण में विचार एवं मनन किया । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त भूमि कभी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में रही हो । ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं है जिससे अपीलान्ट का स्वत्व/अधिकार विवादित भूमि पर हो । यदि विधि के प्रश्न पर देखा जावे तो अपीलान्ट ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उक्त भूमि लोडक्या की थी जो उनके पिता थे इसी आधार पर उनका हक भी प्रश्नगत भूमि में निहित है । परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता लोडक्या की रही हो । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा न ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा स्वत्व रहा हो । प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि थी जो परीक्षण न्यायालय की डिकी से वादीगण को प्राप्त हुई है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बयानों में भी दौलतराम का कब्जा बताया है । विवादित भूमि मूलतः राजकीय भूमि थी जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी के निर्णय दिनांक 24.03.1987 को वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं । न्यायालय द्वारा लोडक्या की मृत्यु के सम्बन्ध में

मौखिक रूप से पूछने पर बताया गया है कि लोडक्या की मृत्यु तो वाद डिक्री होने के काफी वर्ष पूर्व हो चुकी है । परीक्षण न्यायालय ने वादीगण के कब्जे काश्त को आधार मानते हुए डिक्री पारित की है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.1987 के विरूद्ध वर्ष 2019 में अर्थात् लगभग 32–33 वर्ष पश्चात् धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । परीक्षण न्यायालय में भी उक्त निर्णय दिनांक 24.03.1987 के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है। लगभग 32 वर्ष बाद प्रकरण में अपील की गई है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर परिस्थिति व तथ्य अलग होने से चस्पा नहीं होते हैं । अतः विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तथ्य एवं विधि का कोई ऐसा प्रश्न सिद्ध करने में असफल रहे हैं, जिससे उनके हक, अधिकार प्रश्नगत भूमि में सिद्ध होते हों ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाता है । धारा 96 सीपीसी खारिज होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.03.1987 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/252

भंवर लाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन हाल मुकाम सुभाष नगर कुन्हाडी कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. दौलतराम आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. मदन आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. बाबूलाल आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजकुमार आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. कस्तूरी बेवा गोपाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. केसरा आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के0 पाटन जिला बून्दी ।

.द संख्याः 182/दावा/1984

दौलतराम आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----वादी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश महोदय, बून्दी ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर , के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 4.03.1987 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.08.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भण्डारी एवं रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 06 की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूलाल मेघवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाता है । धारा 96 सीपीसी खारिज होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 24.03.1987 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 05.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा